International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070
Impact Factor: RJIF 5.22
www.socialsciencejournal.in
Volume 4; Issue 5; September 2018; Page No. 22-26

सतना जिले में कोल जनजाति का सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का समीक्षात्मक अध्ययन

रमेश प्रसाद कोल
शोधार्थी, राजनीतिशास्त्र विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश
जनजाति अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता से ग्रसित है, जिसके कारण जनजाति स्वयं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नहीं बना पा रही हैं। झाड़–फूँक, जादू–टोना, भूत–प्रेत पर विश्वास आदि का प्रयोग विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु किया जाता है। देवी देवताओं की मान्यता का सहारा लिया जाता है। यह जनजाति अपनी आदिम परम्पराओं की अभ्यस्त होने के कारण नवीन परिवेश से सम्पर्क व सम्बंध स्थापित करने में हिचकिचाते हैं। जनजातियों में संस्कृति, मूल्य व आदर्शों की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वे नवीन मूल्यों, आदर्शों एवं आधुनिक प्रतिमान को अपनाने के लिये मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। अपने पूर्वजों के प्रति निष्ठा एवं नवीनता के प्रति भय वैचारिक स्तर पर रूढ़िवादी बनाता है, जो उनकी अशिक्षा एवं अज्ञानता का परिणाम है जिसके कारण वे अपेक्षित विकास कर पाने में असमर्थ हैं।

मूल शब्द : सतना जिला, शिक्षित, कोल जनजाति, विकास कार्य।

प्रस्तावना
कोल जाति मुंडारी अथवा कोल वर्ग में आती हैं। इसी से कोल जनजाति परिवार का नाम पड़ा है। यह जाति नर्मदा–सोन–गंगा तथा चंबल के बीच के उच्च प्रदेश में बिखरी है। अब भी कोल जाति के लोग अपने को रीवा रियासत का बताते हैं किन्तु अब मुख्यतः विन्ध्य तथा कैमूर श्रेणियों में मिलते हैं। उत्तर में ये उत्तरप्रदेश के बांदा, इलाहाबाद तथा मिर्जापुर जिलों तक फैले हैं। सम्भवतः पहले यह जाति गंगा के मैदान में बसी हुई थी तथा अन्य शक्तिशाली जातियों ने अपना आधिपत्य जमाया और कोल जाति के लोग पठारी तथा पहाड़ी वनाच्छादित प्रदेश में आकर रहने लगे। इस समय अधिकतर कोल, रीवा, शहडोल, सतना, सीधी तथा जबलपुर जिलों में मिलते हैं।[1] रामायण में वर्णित शबरी को ये लोग कोल जाति का भी मानते है। लेकिन अन्य कृष्ण तथा शिव की उत्पत्ति बताते हैं मध्यप्रदेश में कोल रोतेल, रउतिया, भउतिया, काठोतिया, मड़नहा, बिन्ज या मवासी तथा रैवरिय समूहों के नाम से जाने जाते हैं।

साधारणतः कोल जाति के लोग प्रायः कृषि कार्य से जीविका पाते हैं। कृषि मजदूर अधिक संख्या में हैं या भूमि बटाई पर लेते हैं। पुरूष केवल बोवाई तक का काम करते हैं। निंदाई–कटाई महिलाएं करती हैं। यह समाज भी गोत्रों में विभाजित है किन्तु कोई गोत्र चिन्ह नहीं होता। पत्नि की मृत्यु पर विधवा या तलाकशुदा महिला से विवाह की प्रथा है। दो पत्नी भी रखते देखा गया है। तलाक भी विशेष परिस्थितियों में हो जाता है। इस जनजाति में पर्दा प्रथा नहीं है।, लेकिन स्त्री पुरूष के मातहत रहती है।[2–3] फसलों की रक्षा के लिये सूर्य, चन्द्र, पवन तथा इन्द्र की पूजा होती है। गंगा, यमुना आदि नदियों की एवं हिन्दू देवी–देवताओं की पूजा की भी प्रथा है। ये लोग जादू–टोना पर भी विश्वास करते हैं। बीमारियों का इलाज परम्परागत ढंग से करते हैं। ये लोग संगीत के शैकीन होते हैं और घरों में अनेक वा़द यंत्र मिलते हैं। दहका नृत्य मुद्राओं के लिए प्रसिद्ध है।

कोल जाति में दो उपवर्ग हैं, रौतिया तथा रौतेले। रौतिया रौतेलों से अपने को श्रेष्ठ मानते हैं इस जाति के अन्य उपवर्ग दशेरा, थाकुरिया तथा कगवारिया हैं। हिन्दुओं के निकट सम्पर्क में लम्बे समय से रहने के कारण कोल जाति की अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं लुप्त हो गई हैं। वे लोग अपने देवी–देवताओं को भी भूल गये है।[4–6]

कोल अधिकतर खेतिहर मजदूर हैं। जिन लोगों की अपनी खेतिहर भूमि है वे अधिक सम्पन्न और बेहतर ढंग से रहते हैं। इनके खेती के ढंग भी चारों ओर की कृषि पद्धति से अधिक भिन्न नहीं हैं हल का उपयोग भी होने लगा है। सतना के चारों ओर के कोल अब उद्योग जैसे – फैक्ट्री और आरा मशीन तथा खदानों में भी काम करने लगे हैं तथा मेहनती मजदूर हैं। इनमें परम्पराओं तथा आचार–विचार में परिवर्तन देखा जा सकता है।

अधिकतर गाँव के खुली जगह में बसते हैं। वृक्ष जैसे– नीम तथा आम एवं बगीचा गांव के बाहर लगाते हैं। घरों के बाहर ऑगन होता है। ईंटों का उपयोग नहीं होता है। कोल गांव में एक या दो मार्ग होते हैं, घरों के बीच अधिकतर मार्ग नहीं होते, केवल पगडंडी होती है। चटाई को मिट्टी से लीपकर दीवारें बनाते हैं। घास के छत छाते हैं। रहने के अतिरिक्त घर में ही पशुओं को बांधने का कमरा बना है। अधिकतर रहने का एक कमरा होता है। उसी में अनाज का कोठा भी होता है। रोटी और चांवल, जो भी सस्ता भोजन हो, खाते हैं। ये लोग मांसाहारी होते हैं लेकिन गाय तथा शेर का मांस नहीं खाते। सब्जी भी स्वयं उगा लेते हैं। मद्यपान केवल त्यौहारों पर होता है, किन्तु शराब ये लोग स्वयं नहीं बनाते हैं अन्य जनजातियों की तुलना में ये लोग पूरे. वस्त्र धारण करते हैं। महिलाएॅ शारीरिक सज्जा पर विशेष ध्यान देती हैं। जेवर तथा गुदना इनका मुख्य आभूषण है।

कोल जाति के कई गांवों की एक समिति होती है जो आवश्यक मसलों को तय करती है। गांव के पंच गांव के झगड़ों का निपटारा करते हैं। कोल जाति की विवाह पद्धति हिन्दुओं से भिन्न नहीं है। विधवा विवाह स्वीकृत होता है। वह विवाह भी कभी–कभी देखा जाता है।[8] कोल लोग गाने के बहुत शौकीन होते हैं। इस जाति में भी साक्षरता बहुत कम है।

संवैधानिक व्यवस्थाएँ:

अनुच्छेद 15: संविधान का यह अनुच्छेद धर्म, प्रजाति, जाति, योनि एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता। अनुच्छेद 15 की धारा (क) राज्यों को जनजाति के विकास के लिये विशेष व्यवस्था करने का अधिकार प्रदान करती है।

अनुच्छेद 16: सरकारी नौकरियों में जनजाति समाज को समान अवसर प्रदान करता है इनकी धारा (4) के अनुसार सरकारी नौकरी में आरक्षण की सुविधा रखी गई है।

अनुच्छेद 19: यह किसी भी नागरिक को भारत में कहीं पर भी घूमने फिरने, काम करने, सम्पत्ति रखने प्राप्त करने व बेचने का अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 23: इसके द्वारा संविधान में बेगार प्रथा को प्रतिबंधित किया गया है। जिससे जनजातियों को शोषण से मुक्ति मिली है।

अनुच्छेद 29: संविधान के इस अनुच्छेद से जनजातियों की अपनी भाषा, बोली संस्कृति के ऊपर कोई अन्य भाषा या संस्कृति आरोपित नहीं की जा सकी है।

अनुच्छेद 46: यह अनुच्छेद जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा करता है।

अनुच्छेद 164: यह अनुच्छेद बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति की व्यवस्था करता है संविधान के बारहवें भाग के 275 अनुच्छेद के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्यों को जनजातीय कल्याण एवं उचित प्रशासन के लिये विशेष धन राशि देंगी।

पन्द्रवें भाग के 325 अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी को भी धर्म, प्रजाति, जाति एवं लिंग के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जायेगा।

सोलहवें भाग के 330 व 332 वें अनुच्छेद में लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिये स्थान सुरक्षित किये गये हैं।

335 वाँ अनुच्छेद आश्वासन देता है कि सरकार नौकरियों में इनके लिये स्थान संरक्षित रखेगी।

338 वाँ अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिये विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। यह अधिकारी प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

पाँचवीं अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद की नियुक्ति की व्यवस्था है जिसमें अधिकतम बीस सदस्य हो सकते हैं जिनमें से तीन चौथाई सदस्य राज्य विधान सभाओं के अनुसूचित जनजातियों के होंगे। अनुच्छेद 244 एवं 324 में राज्यपालों को जनजातियों के सम्बंध में विशेषाधिकार प्रदान किये गये हैं।

संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जो मध्यप्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा आदि के जनजाति क्षेत्रों के लिये विशेष सुविधा देने से सम्बंधित है। इन लोगों के लिये नौकरियों में प्रार्थना पत्र देने एवं आयु सीमा में छूट दी गई है। शिक्षण संस्थाओं में भी इन्हें शुल्क से मुकत किया गया है एवं कुछ स्थान इसके लिये सुरक्षित रखे गये हैं।

संविधान में रखे गये विभिन्न प्रावधानों का उद्देश्य जनजातियों को देश के अन्य नागरिक के समकक्ष लाना है। उन्हें देश को मुख्य जीवनधारा के साथ जोड़ना तथा एकीकरण करना है जिससे कि वे देश की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के भागीदार बन सकें। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जनजातियों के विकास में काफी रूचि रखते थे। वे नहीं चाहते थे कि उन पर कोई चीज थोपी जाये। उनका कहना था कि हमें उनकी कला एवं संस्कृति के विकास को बढ़ावा देना चाहिये, उनके भू–अधिकारों का आदर करना चाहिये, उनमें स्वयं का शासन करने की क्षमता एवं मानवीय चरित्र का विकास करना चाहिये।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध कार्य के निम्न उद्देश्य हैं

1. कोल जनजाति की आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक सामाजिक स्थिति ज्ञात करना।
2. अध्ययन क्षेत्र में उपलब्ध विकास सुविधाओं की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।

अध्ययन का महत्व

प्रस्तुत शोध कार्य कोल जनजाति की विकास में संलग्न बाधाओं का ज्ञान सैद्धांतिक महत्व को स्पष्ट करता है। कोल जनजाति विकास की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ी है। पिछड़ेपन के कारण 21वीं सदी में अंधविश्वास का वर्चस्व दृष्टिगोचर होता है। अतः प्रस्तुत शोध कार्य द्वारा जनजाति समाज की स्थिति को उन्नयन करने हेतु सुझाव शोध कार्य के व्यवहारिक महत्व को प्रतिपादित करते हैं।

शोध प्रविधि

सतना जिले की आठ तहसीलों की मतदाता सूची प्राप्त कर कोल जनजाति के सदस्यों का उद्देश्यपूर्ण दैवनिदर्शन के द्वारा चयन किया जावेगा। मतदाता सूची के प्रत्येक परिवार के एक पुरूष व एक स्त्री जिसकी 25 वर्ष की अवस्था है लगभग 300 स्त्री पुरूष से अवलोकन पद्धति, साक्षात्कार के माध्यम से साक्षात्कार अनुसूची में तथ्य एकत्र किये जायेंगे। अध्ययन के उद्देश्य एवं उपकल्पना के परीक्षण हेतु सांख्यिकी का प्रयोग किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रलेखनीय विश्लेषणों की सहायता लेते हुए निम्न प्रलेखों की जाँच की जाएगी, उपलब्ध साहित्य यथा पुस्तकें, रिपोर्ट जनगणना रिकार्ड, आदिवासी कल्याण विकास के रिकार्ड, जिला गजेटियर शिक्षा विभाग के प्रतिवेदन आदि।

सतना जिले की भौगोलिक स्थिति

सतना जिला विन्ध्यन उच्च भूमि के अन्तर्गत रीवा पठार का पश्चिमी भूभाग हैं । प्रशासकीय दृष्टि से यह मध्य प्रदेश के रीवा संभाग का एक प्रमुख जिला है जो 2 अप्रैल 1948 तक भूतपूर्व रीवा राज्य तथा 10 अन्य छोटी एवं सनद रियासतों को मिलाकर बनाया गया था।

विस्तार

जिले का विस्तार $23^0.58'$ उत्तरी अक्षांश से $25^0.12'$ उत्तरी अक्षांश तक तथा $80^0.12'$ से $81^0.23'$ पूर्वी देशांतर तक है, जिसकी समुद्र तल से ऊँचाई 217 है तथा पूर्व चौड़ाई लगभग 85 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 7502 वर्ग कि.मी. है जो सम्पूर्ण मध्यप्रदेश का 1.68 प्रतिशत है।[7]

सतना जिले की उत्तरी, पूर्वी एवं पश्चिमी सीमायें प्रायः प्रशासकीय है, किन्तु दक्षिण में सोन तथा उसकी सहायक महानदी लगभग 110 कि.मी. की लम्बी सीमा निर्धारित करती हैं। जिले के उत्तर में उत्तर प्रदेश का बांदा जिले की नरैनी तहसील स्थित हैं, इसके पूर्व में रीवा जिले की सिरमौर तथा हुजूर तहसीलें तथा सीधी जिले की गोपद बनास तहसीलें है। जिले की पश्चिमी सीमा पन्ना जिले के

अजयगढ़, पन्ना, पवई तहसीलों से परिबद्ध है। इसके दक्षिण में जबलपुर जिले की मुड़वारा तथा शहडोल जिले की बांधवगढ एवं ब्यौहारी तहसीलें स्थित है।

समग्र एवं निदर्शन

निदर्शन पद्धति में सभी इकाईयों का अध्ययन करके समग्र में से कुछ इकाईयों को चुना जाता है, जो समस्त इकाईयों का भली–भांति प्रतिनिधित्व करती हैं, कुछ को देखकर या परीक्षा कर सबके बारे में अनुमान लगा लेना ही निदर्शन है। इस पद्धति की आधारभूत विशेषता है कि कुछ की विशेषताएँ सबकी आधारभूत विशेषताओं का उचित प्रतिनिधित्व करती हैं बशर्ते कुछ का चुनाव ठीक से किया जाये।

विषय के अध्ययन के लिए निम्न चरणों से गुजरना पड़ता है :–

प्रथमः अध्ययन विषय वस्तु का निर्धारण।

द्वितीयः अध्ययन में समग्र का निदर्शन।

तृतीयः समग्र का विभाजन।

चतुर्थः समग्र से आवश्यकतानुसार निदर्शन का चुनाव ।

समग्र का विभाजन दो प्रकार से किया जाता है

1. वे गाँव जहाँ जनजातियों की कुल जनसंख्या 300 से अधिक है।
2. वे गाँव जहाँ जनजातियों की कुल जनसंख्या 300 से कम है ।

इस प्रकार आवश्यकतानुसार समग्र का विभाजन कर जनजातीय बहुल गॉवों से 10 गाँवों का चयन निदर्शन कि दैव निदर्शन पद्धति के आधार पर किया गया है। अध्ययन के लिए चयनित गाँव इस प्रकार हैं– महदेवा, अहरीटोला, रकौंधा, बिहरा, इंटवा, भदनपुर, चूँद, भटनवारा, पतेरी एवं हनुमानटोला।

इन प्रत्येक गॉवों से 30–30 जनजातीय परिवारों का चयन भी दैव निदर्शन पद्धति के आधार पर किया गया है।

कोल जनजाति

विन्ध्यक्षेत्र के इस भू–भाग सतना जिले में अत्यन्त प्राचीन काल से ही अनेक जनजातियों का निवास रहा है, जिनमें कोल मुण्डा वर्ग की अनेक जातियाँ सम्मिलित हैं। शासक के रूप में अनेक राजवंशों ने इस क्षेत्र पर आधिपत्य जमाया और धीरे–धीरे इस भू–भाग के मूल निवासी जंगलों में भागते चले गये। क्षेत्र का अधिकतर भाग वनों से ढका हुआ था और कृषि के अलावा आय के कोई अन्य व्यवसाय नहीं थे कोल जातियाँ अपना परम्परागत पैतृक कार्य करती थी, इन लोगों के रहन–सहन का स्तर निम्न था।[1]

विकास का अर्थ मात्र आर्थिक से नहीं वरन् जीवन के सभी पक्षों के विकास से है। विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो अवसरों को लगातार विस्त्रित करती है एवं मानवीय योग्यताओं को बढ़ाने के साथ साथ साधनों को उपयोग करने की सुविधाएँ भी देती है।[4–5] विकास तभी सम्भव होगा जब महिला व पुरूष दोनों समान रूप से बुराईयों के दुष्चक्रों को दूर करने में सहभागी हों तथा जनजाति समाज स्वयं के विकास के साथ साथ राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ जायें।[1–3]

जिले में संचालित महिलाओं के विकास हेतु कल्याणकारी योजनाएँ एवं कार्यक्रमों का वर्णन।

उत्तरदाताओं का कार्यक्षेत्र एवं योगदान

स्वतंत्रता के पश्चात जनजाति समाज को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने रोजगार उपलब्ध कराने के साथ सुरक्षा स्वास्थ्य एवं शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने हेतु कानून एवं नियमों का रचना कर लागू किया गया तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करके उनके विकास एवं उत्थान के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। जनजातियों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उन्होंने क्षमता का परिचय दिया एवं स्वावलम्बी होकर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है।

कृषि एवं अनाज उत्पादन

उत्तरदाताओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कृषि एवं खाद्यान्न उत्पादन के हर चरण में पुरूष व महिलायें सम्मिलित रहती हैं। वे श्रमिक के रूप में दूसरे के खेतों में कार्यरत हैं या स्वयं की भूमि पर कृषि कार्य कर रहे हैं। पुरूषों के साथ–साथ महिलायें बुवाई से पहले की समस्त गतिविधियॉ जिसमें बीज का चुनाव, खेत तैयार करना, मेड़ बनाना, रोपाई आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फसल बोने के पश्चात पशु पक्षियों से बचाव, कटाई करना, अनाज को सुरक्षित रखना महिला पुरूष की हिस्सेदारी बराबर होती है।[1–3]

पशुपालन

जिले में जनजाति का एक ऐसा वर्ग है जो पशुपालन से सम्बंधित है। वे घरेलू एवं दुधारू पशुओं जैसे गाय, बैल, बकरी, मुर्गी का पालन पोषण करते हैं। वे पशुपालन से सम्बंधित कार्यों जैसे दूध दुहना, चारा काटना, जानवरों व उनके रहने के स्थानों की सफाई, कंडे बनाना, नये पशुओं का क्रय–विक्रय एवं ऋतु परिवर्तन पर पशुओं की देखभाल एवं अस्वस्थ होने पर घरेलू इलाज करना आदि में पुरूष व महिला सब मिलकर करते हैं।

खाद्य प्रसंस्करण

जनजाति पुरूष महिला सदस्यों की भूमिक फसल उगाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अनाज को सुरक्षित रखना, संग्रह करना, फसल से अनाज निकालना आदि महत्वूपर्ण कार्यों का सम्पादन करते हैं।

वानिकी

जनजाति सदस्य स्थानीय जंगली क्षेत्र में ईंधन एवं चारा एकत्र करने तक सीमित नहीं हैं वरन् पौधों की रोप, पेड़ों की उचित व सीमित मात्रा में कटाई, जड़ीबूटियों का ज्ञान, वनोपज एकत्र, संगृह कर उसका विक्रय करना आदि कार्य करते हैं।

जैव विविधता का संरक्षण क्षेत्र में निवासरत भूमि की उर्वरा शक्ति बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। फसलों की जानकारी, फसलों की हेर–फेर के द्वारा संरक्षण गोबर से खाद बनाना आदि कार्य करते हैं विशेष कर महिलाओं के द्वारा घर के आसपास लगाई गई साग सब्जियाँ, भूमि की उर्वरा शक्ति एवं पर्यावरण को कम क्षति के श्रेष्ठ उदाहरण है।

जाति पंचायत

प्राचीन समय से समस्याओं के समाधान के लिये अनौपचारिक संस्थाओं अर्थात जाति पंचायत का योगदान महत्वपूर्ण रही है। उत्तरदाताओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक भूमि एवं सम्पत्ति, वैवाहिक विषयों को सुलझाने में जनजाति की पंचायत निर्णय लेने में सक्षम है। पुरूषों के साथ महिलायें भी जनजाति पंचायत की कार्यवाही में सहभागी रहती हैं।[1–3]

पंचायती व्यवस्था

1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफाारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। 1992 में 73वाँ

संधोधन अधिनियम पारित कर ग्राम पंचातय क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के अध्यक्षों एवं सदस्यों की कुल संख्या की कम से कम एक तिहाई संख्या महिलाओं की कर दी गई है। जनजाति सदस्य उक्त व्यवस्था का क्रमशः जागरूक होकर ग्रामीण क्षेत्र के विकास में योगदान दे रहे है।[1–3]

राजनीतिक क्षेत्र

समान राजनीतिक अधिकार एवं सहभागिता का विषय वर्तमान आधुनिक सभ्यता एवं विश्व का एक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण विषय है। जनजाति की राजनीतिक भागीदारी एवं उनमें नेतृत्व शक्ति का विकास करने हेतु निश्चित कोटे के अनुसार अलग से आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण का लाभ लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों पदाधिकारियों या कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में सक्रिय हैं एवं राजनीति में स्वयं की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये प्रयासरत हैं।[1–3]

स्वरोजगार व्यवसाय

भारत सरकार के द्वारा पूर्ववर्ती क्रियान्वित योजनाओं को सम्मिलित करके स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 से प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति, 40 प्रतिशत महिलाओं, 3 प्रतिशत विकलांग एवं 7 प्रतिशत सामान्य वर्गों के स्वरोजगारियों के लिये निर्धारित किये गये हैं। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण निर्धन एवं आन्तरिक क्षेत्र में बसे वर्ग का आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाने का उद्देश्य स्वसहायता समूह के गठन के द्वारा किया जाना है। उक्त योजना का लाभ उठाकर जनजाति सदस्यों के द्वारा अन्य वर्गों के साथ स्वसहायता समूह का गठन करके स्वरोजगार की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।[8]

शिक्षा

वर्तमान समय में शिक्षा वह अभिकरण है जो व्यक्ति का बहुमुखी विकास करती है। शिक्षा ने विशेषीकरण तथा श्रम विभाग के द्वारा औद्योगिक विकास में योगदान दिया है तथा आर्थिक विकास की आवश्यकता को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उत्तरदाताओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उन लोगों की उच्च शिक्षा ग्रहण की एवं विभिन्न पदों पर आसीन है यह अलग है कि अभी संख्या न्यून है किन्तु अवसर का लाभ लेकर जनजाति सदस्य शिक्षा प्राप्त करके क्रमशः अपना स्थान बनाने के लिये प्रयासरत हैं।

सारणी 1: कोल जनजाति में वैचारिक स्तर का अध्ययन

चिकित्सा के उपाय	संख्या	प्रतिशत
घरेलू इलाज	144	48.00
जादू–टोना, झाड़–फूंक	132	44.00
आधुनिक चिकित्सा	24	8.00
योग	300	100.00

स्त्रोतः क्षेत्रिय सर्वेक्षण से उपलब्ध जानकारी पर आधारित[6]।

उपर्युक्त सारणी से उत्तरदाताओं को वैचारिक स्तर का ज्ञान होता है। उत्तरदाताओं की सूचना के आधार पर आप परिवार के किसी सदस्य या स्वयं के अस्वस्थ होने पर 144 उत्तरदाता अर्थात 48.00 प्रतिशत ने स्वीकार किया वे घरेलु इलाज अर्थात जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं। 132 उत्तरदाता जिनका प्रतिशत 44.00 है ने स्वीकार किया कि वे स्वस्थ होने के लिये जादू–टोना, झाड़ फूंक करवाते हैं जबकि 24 उत्तरदाता अर्थात 8.00 प्रतिशत आधुनिक चिकित्सा पर विश्वास करते हैं।

सारणी 2: प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अध्ययन

मताधिकार का प्रयोग	संख्या	प्रतिशत
हाँ	220	73.00
नहीं	80	27.00
योग	300	100.00

स्त्रोतः क्षेत्रिय सर्वेक्षण से उपलब्ध जानकारी पर आधारित[6]।

उपयुक्त सारिणी से उत्तरदाताओं की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सहभागी बनने अर्थात मताधिकार का प्रयोग एवं प्रत्याशी के सम्बंध में मनोवृत्ति स्पष्ट होती है। 220 उत्तरदाता अर्थात 73.00 प्रतिशत मताधिकार का प्रयोग करते हैं जबकि 80 उत्तरदाता जिनका प्रतिशत 27.00 है ने स्वीकार किया कि वे मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं।

सारणी 3: योजनाओं की जानकारी का अध्ययन

योजनाओं की जानकारी	संख्या	प्रतिशत
हाँ	176	59.00
नहीं	124	41.00
योग	300	100.00

स्त्रोतः क्षेत्रिय सर्वेक्षण से उपलब्ध जानकारी पर आधारित[6]।

उपर्युक्त सारिणी से ज्ञात होता है कि सरकार एवं प्रशासन द्वारा संचालित जनजातीय विभिन्न योजनाओं की जानकारी के संदर्भ में 176 उत्तरदाता अर्थात 59.00 प्रतिशत ने स्वीकार किया जबकि 124 उत्तरदाता अर्थात 41.00 प्रतिशत ने जानकारी से अनभिज्ञता प्रकट की।

सारणी 4: योजनाओं से लाभ का अध्ययन

योजनाओं से लाभ के क्षेत्र	संख्या	प्रतिशत
आवास	12	4.00
शिक्षण प्रशिक्षण	06	2.00
रोजगार	15	5.00
स्वास्थ्य	09	3.00
न्याय	06	2.00
अन्य	18	6.00
लागू नहीं	234	78.00
योग	300	100.00

स्त्रोतः क्षेत्रिय सर्वेक्षण से उपलब्ध जानकारी पर आधारित[6]।

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट होता है कि 66 उत्तरदाता अर्थात 22.00 प्रतिशत में से 12 उत्तरदाता अर्थात 4.00 प्रतिशत को आवास की सुविधा, 6 उत्तरदाता अर्थात 2.00 प्रतिशत को प्रशिक्षण व व्यवसाय योजना से लाभ, 15 उत्तरदाता अर्थात 5.00 प्रतिशत को रोजगार स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के द्वारा, 9 उत्तरदाता अर्थात 3 प्रतिशत को राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना से लाभ, 6 उत्तरदाता अर्थात 2.00 प्रतिशत को न्याय प्रकरण में निपटारा एवं क्षतिपूर्ति एवं 18 उत्तरदाता अर्थात 6.00 प्रतिशत को अन्य योजनाओं में यथा सहारा, सामुहिक विवाह, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता शासन के द्वारा उपलब्ध करायी गई है।

सारणी 5: संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी का अध्ययन

संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी	संख्या	प्रतिशत
हाँ	94	32.00
नहीं	162	54.00
लागू नहीं	44	14.00
योग	300	100.00

स्त्रोतः क्षेत्रिय सर्वेक्षण से उपलब्ध जानकारी पर आधारित[6]।

उपर्युक्त सारिणी से सरकारी पंचायतों के उद्देश्य के अनुरूप कार्यों में संदर्भ में 94 उत्तरदाता अर्थात 32.00 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि वे संतुष्ट हैं अर्थात सरकारी पंचायतें ठीक कार्य कर रही हैं जबकि 162 उत्तरदाता अर्थात 54.00 प्रतिशत का मानना है कि वे सरकारी पंचायतों के कार्यों से असंतुष्ट हैं।

सारणी 6: पंचायतों के कार्यों से असंतुष्ट होने का अध्ययन

असंतुष्ठ होने के कारण	संख्या	प्रतिशत
राजनीतिक भ्रष्टाचार	40	14.00
योजना के लाभ का अभाव	78	26.00
योग्यता का अभाव	26	8.00
प्रशासनिक ढाँचे में तालमेल का अभाव	18	6.00
लागू नहीं	138	46.00
योग	300	100.00

स्त्रोतः क्षेत्रिय सर्वेक्षण से उपलब्ध जानकारी पर आधारित[6]।

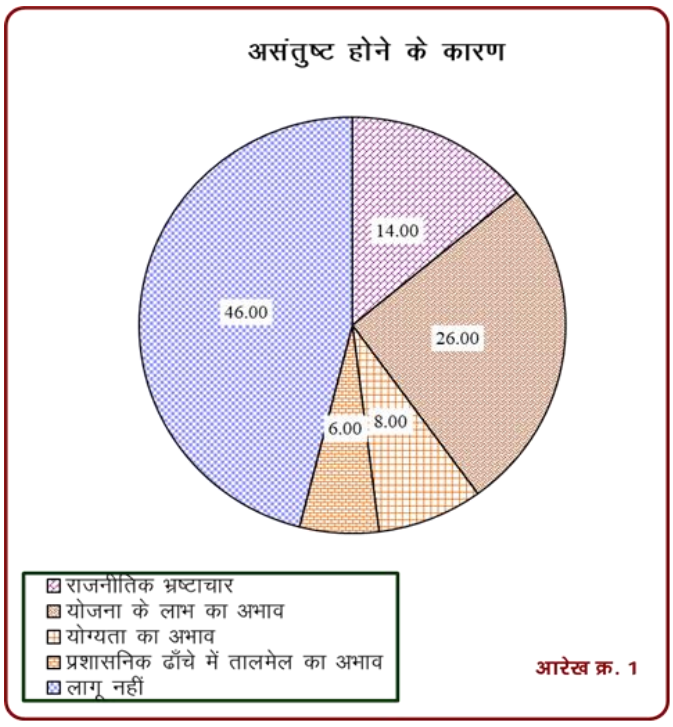

उपर्युक्त सारणी एवं आरेख से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं का सरकारी पंचायतों के कार्यों से असंतुष्ट होने के मुख्य कारण निम्नलिखित है। यथा 40 उत्तरदाता अर्थात 14.00 प्रतिशत ने राजनीतिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को उत्तरदायी माना, 78 उत्तरदाता अर्थात 26.00 प्रतिशत के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन की गति धीमी होने समयानुसार पात्र को लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती। 26 उत्तरदाता अर्थात 8.00 प्रतिशत ने मत व्यक्त किया कि चयनित प्रत्याशी मे कुशलता, योग्यता का अभाव है। जबकि 18 उत्तरदाता अर्थात 6.00 प्रतिशत का मानना है कि सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा प्रतिनिधियों में अपनी समझ एवं तालमेल का अभाव है।

निष्कर्ष

जनजाति के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जनजातीय समाज अनेक प्रकार की गंभीर समस्याओं से ग्रस्त है। अतः समस्याओं के समाधान हेतु जिले में क्रियाशील गैर सरकारी संगठनों का प्रमुख उद्देश्य इन्हीं समस्याओं का निराकरण करना है। जिसके कारण शिक्षा के प्रति गैर सरकारी संगठनों की अभिरूचि अपेक्षाकृत उदासीन है। क्योंकि उनका अधिकतर समय आर्थिक समस्याओं के सुलझाने में ही व्यतीत हो जाता है।

जनजाति में साक्षरता का प्रतिशत कम होने के कारण वे शासन द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का समुचित लाभ उठाने में असमर्थ हैं। अतः आर्थिक कार्यों के लिये आवश्यक धन जुटाने के लिये उन्हें महाजन, साहुकार पर निर्भर रहना पड़ता है। शासन द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु प्रदाय ऋण की प्रक्रिया लम्बित क्लिष्ट होती है। ऐसी स्थिति में जनजाति ऋण के बोझ से दबी हुई है। इसके अतिरिक्त निर्धनता भी उन्हें बार–बार ऋण लेने के लिये बाध्य करती है। जिससे वे निर्धनता, ऋण–ग्रस्तता, निर्धनता के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं एवं ऋण पीढ़ीदर पीढ़ी हस्तान्तरित होता रहता है।

जनजातियों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विकास हेतु जो योजनायें निर्मित की गई उनका स्वरूप, क्षेत्र की विशेषता एवं जनजातीय आवश्यकता को ध्यान में रखकर नहीं किया गया। उच्च स्तर से निर्मित होकर योजनायें ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्र में क्रियान्वित की जाती हैं जिससे व्यवहारिकता का अभाव रहता है। सबसे प्रमुख तत्व यह है कि जनजाति की आवश्यकता व विशेषता अन्य वर्गों से भिन्न है। इस तथ्य को केन्द्र बिन्दु में नहीं रखा गया। दूसरी तरफ योजनाओं के क्रियान्वयन क्षेत्र, हितग्राहियों की संख्या एवं लाभ आदि के आँकड़े, सरकारी दस्तावेज में अनुसूचित जनजाति के नाम से व्यवस्थित प्रकाशित किये जाते हैं किन्तु अलग जनजातियों के आधार पर विभाजित नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट नहीं हो पाता कि वास्तविक लाभ कौनसी जनजाति को, कितनी मात्रा में प्राप्त हो रहा है। जनजातियों से सम्बंधित समस्त सूचनायें अनुसूचित जनजाति वर्ग के रूप में संग्रहित करने के कारण वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।

सन्दर्भ

1. तिवारी, शिवकुमारण (1984: "मध्यप्रदेश के आदिवासी", मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृ. 57
2. रेडफील्ड, रोबाल्ट (1973: "कृषक समाज और कृषक संस्कृति", अनुवादक एस. देव. शल्य अकादमी, जयपुर राजस्थान.
3. जैन, श्रीचन्द (1980): "आदिवासियों के बीच" नई दिल्ली किताब घर.
4. जिला शिक्षा कार्यालय, जिला सतना।
5. आदिम जाति कल्याण विभाग, सतना।
6. क्षेत्रिय सर्वेक्षण से उपलब्ध जानकारी पर आधारित।
7. जिला संख्यिकी पुस्तिका, सतना 2011
8. बघेल, डी.एस. (1986): "सामाजिक अनुसंधान" पुष्पराज प्रकाशन, रीवा।